प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,** उत्तर प्रदेश।
3. **समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका,** जिला पुरूष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।

पत्रांकः—एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./एम.एण्ड ई./2019—20/16/ 7424-3 दिनांकः 29-11-19

विषयः—चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की दिनांक 18.11.2019 को आहूत वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्पन्न समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनॉक 18 नवम्बर 2019 को प्रदेश के समस्त जनपदों में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समीक्षा की गई।

उक्त के क्रम में समीक्षा बैठक का अनुमोदित कार्यवृत्त पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या प्रमुख सचिव, महानिदेशालय एवं मिशन निदेशक कार्यालय को 07 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक—अनुमोदित कार्यवृत्त।

भवदीया,

(जसजीत कौर)
अपर मिशन निदेशक
तद्दिनांकः

पत्रांकः—एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./एम.एण्ड ई./2019—20/16/ 7424-3 (10)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सांची, उत्तर प्रदेश।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. वरिष्ठ सलाहकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
9. वित्त नियंत्रक, अधिशासी अभियन्ता, समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबंधक, एस.पी.एम.यू.,एन.एच.एम.,उ0प्र0।
10. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम. उत्तर प्रदेश।

(डा0 अनामिका मिश्रा)
महाप्रबन्धक, एम0एण्ड ई0

वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग दिनॉक 18 नवम्बर 2019 का कार्यवृत्त

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनॉक 18 नवम्बर 2019 को प्रदेश के समस्त जनपदों में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, निदेशक–वी0बी0डी0, निदेशक– परिवार कल्याण, तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय, परिवार कल्याण महानिदेशालय एवं राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्य अधिकारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। मण्डल/जनपद स्तर से समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका–जिला स्तरीय चिकित्सालय, जनपद स्तरीय अधिकारी एवं प्रबंधकों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग बैठक के दौरान दिये गये निर्देश निम्नवत हैं–

संचारी रोग नियंत्रण अभियान –

1. डेंगू रोग से सर्वाधिक प्रभावित 10 जनपदों यथा– लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी, अलीगढ़, सहारनपुर, अयोध्या, मेरठ, हरदोई एवं बरेली के मुख्य चिकित्साधिकारियों से डेंगू रोग के नियंत्रण, रोकथाम एवं उपचार के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाहियों के विषय में जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा–निर्देश दिये।
2. अवगत कराया गया कि डेंगू रोग के नियंत्रण हेतु दिनांक 16.11.2019 से 30.11.2019 तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में चलाया जा रहा है। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अन्तर्गत समस्त अन्तर्विभागीय गतिविधियां सम्पादित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
3. निर्देशित किया गया कि विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के सफल संचालन हेतु समस्त जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 19.11.2019 तक अन्तर्विभागीय बैठक आहूत कर ली जाये एवं उसकी सूचना दिनांक 20.11.2019 तक प्रत्येक दशा में राज्य मुख्यालय को उपलब्ध करा दी जाये।
4. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी अन्तर्विभागीय सहयोग से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अन्तर्गत संचालित होने वाली समस्त अन्तर्विभागीय गतिविधियों का सम्पादन करायें, विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अन्तर्गत सम्पादित होने वाली समस्त गतिविधियों की रिपोर्ट दैनिक आधार पर दैनिक एवं क्रमिक रुप से संकलित करते हुये साप्ताहिक रुप से उसकी सूचना निर्धारित प्रारुप पर राज्य मुख्यालय को उपलब्ध करायें तथा सम्पूर्ण अभियान की रिपोर्ट दिनांक 05.12.2019 तक अनिवार्य रुप से राज्य मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अन्तर्गत सम्पादित होने वाली समस्त गतिविधियों का जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा दैनिक आधार पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।
6. विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अन्तर्गत समस्त स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के द्वारा घर–घर भ्रमण सुनिश्चित करायें एवं डेंगू के मच्छर की प्रजनन हेतु अनुकूल स्थानों को समाप्त करने हेतु सोर्स रिडक्शन गतिविधि सम्पादित करने के साथ–साथ प्रचार–प्रसार के माध्यम से एडीज़ मच्छर के प्रजनन को रोकने हेतु जन–जागरण करना सुनिश्चित करें।

7. डेंगू धनात्मक रोगियों वाले घर के 100 मीटर के दायरे में आने वाले प्रत्येक घर में सघन रुप से पायरेथ्रम स्पेस स्प्रे, डेंगू के मच्छर की प्रजनन हेतु अनुकूल स्थानों को समाप्त करने हेतु सोर्स रिडक्शन गतिविधि, एण्टीलार्वल स्प्रे एवं फॉगिंग की कार्यवाही करायी जानी सुनिश्चित करें।
8. समस्त उपचार केन्द्रों पर मच्छर रहित डेंगू वार्ड, जिनमें प्रत्येक शैय्या पर मच्छरदानी की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
9. समस्त जनपदों को राज्य बजट से रू0 200000.00 (न्यूनतम) की धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है, जिसका उपयोग कीटनाशक रसायनों/औषधियों के क्रय हेतु उपलब्ध कराये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाये।
10. समस्त जनपदों में रैली एवं पैम्फलेट के माध्यम से प्रचार-प्रसार की गतिविधि कराई जाये, जिस हेतु जनपद स्तर पर प्रचार-प्रसार मद में उपलब्ध घनराशि का उपयोग किया जायेगा। यदि किसी जनपद को अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है तो समयान्तर्गत राज्य मुख्यालय को अवगत करायें।
11. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित नगर निगम एवं नगर पालिकाओं के द्वारा बाईलॉज प्रख्यापित (डेंगू के लार्वा पाये जाने पर चालान/कर लगाने सम्बन्धी) करने की अद्यतन स्थिति से तीन दिवसों में अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सी0आर0एस0 पोर्टल पर जन्म पंजीकरण-

12. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि Civil Registration System को सुदृढ किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करें। सरकारी चिकित्सालय में होने वाले समस्त जीवित जन्मों का पंजीकरण Civil Registration System में किया जाना सुनिश्चित करें।
13. अवगत कराया गया कि एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर सितम्बर 2019 तक दर्ज 26 लाख संस्थागत प्रसव के सापेक्ष 17 लाख बच्चों का ही जन्म पंजीकरण सी0आर0एस0 पोर्टल पर किया गया है। प्रमुख सचिव द्वारा इस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा निर्देशित किया गया कि संस्थागत प्रसव के सापेक्ष 31 दिसम्बर 2019 तक शत-प्रतिशत जन्म पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें। अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
14. निर्देशित किया गया कि सरकारी चिकित्सालयों में हुये जीवित जन्मों के सापेक्ष किये गये जन्म पंजीकरण का डाटा उपलब्ध करायें जिससे सम्बन्धित सूचना से मुख्य सचिव महोदय को अवगत कराया जा सके।
15. आशा एवं ए0एन0एम0 के माध्यम से जन्म पंजीकरण के बैक-लॉग को यथाशीघ्र समाप्त करवाना सुनिश्चित करें तथा प्रयास करें कि जननी सुरक्षा योजना के फार्म भरते समय ही जन्म पंजीकरण का फॉर्म भी भरवा लिया जाये, जिससे प्रत्येक बच्चे का जन्म पंजीकरण ससमय सी0आर0एस0 पोर्टल पर किया जा सके।

आयुष्मान भारत योजना-

16. अवगत कराया गया कि आयुष्मान भारत के अन्तर्गत चिन्हित लाभार्थियों के सापेक्ष मात्र 10.9 प्रतिशत लाभार्थियों के ही गोल्डेन कार्ड बनवाये गये हैं। आयुष्मान भारत के अन्तर्गत समस्त चिन्हित लाभार्थियों के गोल्डेन कार्ड बनवाना एवं उनका वितरण सुनिश्चित करें। साथ ही साथ नियमानुसार समस्त लाभार्थियों को उपचार की सुविधा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

17. अवगत कराया गया कि 159 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को अभी तक योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध नहीं किया गया है। जनपद सुल्तानपुर में एक भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को अभी तक योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध नहीं किया गया है। समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वह अपने जनपद के ऐसे सामुदायिक केन्द्रों, जो अभी तक योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध नहीं हैं को सूचीबद्ध किये जाने हेतु डिस्ट्रिक्ट ईम्पैनलमेन्ट कमेटी से अनुमोदन कराते हुए प्रकरण स्टेट ईम्पैनलमेन्ट कमेटी को एक सप्ताह में प्रेषित करना सुनिश्चत करें। यह भी सुनिश्चित करें कि चिकित्सालयों को आबद्ध करने का प्रस्ताव देते समय अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सकों के सापेक्ष स्पेशियालिटी का चयन किया जाये।
18. निर्देशित किया गया कि योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार करवाना सुनिश्चित करें तथा उपलब्ध ग्रामवार लाभार्थियों की सूची में सम्मिलित लोगों को 01 दिसम्बर से 31 दिसम्बर 2019 तक योजना के महत्व के विषय में बैठक करके बतलाया जाये। ए0एन0एम0 एवं आशा के द्वारा भी योजना के लाभों के विषय में समुदाय में जागरूकता की जाये, जिससे योजना के अन्तर्गत उपचार कराने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि की जा सके।
19. निर्देशित किया गया कि निजी चिकित्सालयों पर दबाव बनाकर योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध किया जाना सुनिश्चित करें जिससे अधिक से अधिक परिवारों को योजना का लाभ दिया जा सके।
20. अवगत कराया गया कि जनपद झांसी में एक ही परिवार की आई0डी0 से **Add Member** के विकल्प का प्रयोग करते हुये 196 सदस्यों को जोडा गया है, जिस पर कार्यवाही की जा रही है। मुख्य चिकित्साधिकारी, झांसी को निर्देशित किया गया कि प्रकरण का संज्ञान लेते हुये पूर्ण जानकारी से प्रमुख सचिव को दूरभाष पर अवगत कराना सुनिश्चित करें। समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि इस प्रकार के प्रकरण पुनः न आयें, इसके लिये नियमित रूप से समीक्षा करना सुनिश्चित करें।

मिशन इन्द्रधनुष–

21. अवगत कराया गया कि प्रदेश के 73 जनपदों के 425 ब्लाकों में "सघन मिशन इन्द्रधनुष अभियान–2" चार चरणों में (दिनांक 02 दिसम्बर, 2019 06 जनवरी, 2020, 3 फरवरी, 2020 एवं 2 मार्च, 2020) चलाया जाना है।
22. निर्देशित किया गया कि अभियान के अन्तर्गत जिला स्तरीय टास्क फोर्स बैठक का आयोजन, जनपद स्तरीय समीक्षा कमेटी के माध्यम से संचालित गतिविधियों का अनुश्रवण करना एवं जनपद एवं ब्लॉक स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशालाओं का आयोजन ससमय करना सुनिश्चित करें।
23. जनपद स्तर पर आई0एम0आई0 पोर्टल पर डाटा इण्ट्री, मीडिया कार्यशाला का आयोजन, प्रत्येक चयनित ब्लाक हेतु नोडल आफिसर का चयन, पर्यवेक्षण हेतु पर्यवेक्षकों का चयन तथा प्रतिदिन सायंकालीन समीक्षा बैठक का आयोजन करना सुनिश्चित करें।
24. समस्त गतिविधियों को समयान्तर्गत पूर्ण कराने हेतु सहयोगी संस्थाओं (डब्लू0एच0ओ0, यूनीसेफ, यू0एन0डी0पी0, रोटरी, टी0एस0यू0 इत्यादि) का भी सहयोग लिया जाये। जिन जनपदों में सहयोगी संस्था– कोर, ग्रुप एम, ए0आई0एच0 एवं पिरामल कार्यरत हैं, उनका भी सहयोग लिया जाये।
25. अभियान की सफलता हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, नगरीय विकास विभाग, शिक्षा विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, युवा कल्याण, श्रम एवं रोजगार तथा समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण, गृह विभाग, डिफेन्स एवं रेलवेज इत्यादि विभागों द्वारा समन्वय स्थापित कर सहयोग लिया जाये।

26. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त जनपद नियमित टीकाकरण के लक्ष्य के सापेक्ष 90 प्रतिशत से अधिक करने हेतु शत–प्रतिशत प्रयास करें तथा 38 चिन्हित जनपदों में जे0ई0 टीकाकरण पर भी ध्यान दें।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तीय स्थिति की समीक्षा–

27. वित्तीय समीक्षा के क्रम में अवगत कराया गया कि राज्य स्तर से आवंटित बजट के सापेक्ष जनपदों द्वारा मात्र 43.70 प्रतिशत ही व्यय किया गया है। जनपद बलिया के द्वारा सबसे कम 34.63 प्रतिशत तथा जनपद मुजफ्फर नगर के द्वारा सबसे अधिक 52.43 प्रतिशत धनराशि का व्यय किया गया है। निर्देशित किया गया कि दिशा–निर्देशों के अनुसार आवंटित बजट का उपभोग सुनिश्चित करें।
28. वित्त नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि 53 जनपद आगरा, अलीगढ़, अमेठी, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, औरैया, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, चन्दौली, देवरिया, एटा, फैजाबाद, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, गोण्डा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जे0पी0 नगर, जालौन, जौनपुर, कानपुर (देहात), कानपुर (नगर), कांशीराम नगर, कौशाम्भी, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहाँपुर, सिद्धार्थ नगर, सीतापुर, सन्त कबीर नगर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव एवं वाराणसी के द्वारा अभी तक वित्तीय वर्ष 2018–19 बैलेन्स शीट राज्य स्तर पर समेकन हेतु उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जिससे उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट भारत सरकार का प्रेषित करने में विलम्ब हो रहा है। निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित जनपद शीघ्रातिशीघ्र बैलेन्स शीट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में भविष्य में राज्य स्तर से बजट आवंटित किया जाना सम्भव नहीं होगा।

अनीमिया मुक्त भारत अभियान–

29. अवगत कराया गया कि "एनीमिया मुक्त भारत" पोषण अभियान के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु स्वास्थ्य विभाग की एक महत्वपूर्ण रणनीति है। निर्देशित किया गया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग (ICDS), बेसिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा विभाग व पंचायती राज विभाग के मध्य समन्वय के माध्यम से कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
30. अभियान के अन्तर्गत सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त 06–19 वर्ष के स्कूल जाने वाले बच्चों हेतु 14 नवम्बर 2019 से अभियान का प्रारम्भ किया गया है। इस अभियान के तहत 4 महीने (14 नवम्बर, 2019 से 31 मार्च 2020 तक) प्रत्येक सप्ताह सोमवार को आयरन की गोली खिलानें के पश्चात जागरूकता एवं रोचकता हेतु गतिविधियाँ आयोजित कराना सुनिश्चित करें।
31. अवगत कराया गया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं हेतु सघन अभियान एक पखवाड़े के तौर पर जनवरी माह में चलाया जायेगा। निर्देशित किया गया कि दिशा–निर्देशों के अनुसार आयोजन सुनिश्चित करें।
32. निर्देशित किया गया कि अभियान के अन्तर्गत विद्यालयों पर फोकस किया जाना सुनिश्चित करें तथा योजनानुसार गतिविधियों की तैयारी करते हुये आयोजन करवाना सुनिश्चित करें।
33. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आयरन की लाल गोलियाँ सभी ए0एन0एम के पास उपस्थित गर्भवती महिलाओं की संख्या अनुसार उपलब्ध करायें तथा डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर की उपलब्धता समस्त स्वास्थ्य इकाइयों पर सुनिश्चित करवायें।

34. जनपद स्तर पर सुनिश्चित करें कि पोस्टर, पैम्फलेट व स्लिप आदि की प्रिन्टिंग समय से हो जाये एवं जनपद, ब्लॉक व सब सेंटर स्तर की चिकित्सा इकाईयों तक पहुँच व लग जाये।
35. जनपद स्तर पर जनवरी माह में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित करें जिसमें सभी विभागों के जनपद व ब्लॉक स्तरीय अधिकारी – समस्त चिकित्साधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, पंचायती राज, राज्य पोषण मिशन, सहयोगी संस्थायें, स्थानीय एन0जी0ओ0 को सम्मिलित करते हुए इनके द्वारा प्रदान किये जानें वाले सहयोग की कार्य योजना बनायें।

पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम–

36. अवगत कराया गया कि गत दो सप्ताह से ज्वांइट रिव्यू मिशन उत्तर प्रदेश के भ्रमण पर है, जिसके द्वारा इंगित किया गया है कि उपलब्ध डाटा के विश्लेषण के आधार पर सुधारात्मक कार्यवाही पर जोर दिया गया। निर्देशित किया गया कि प्रत्येक माह आर0एन0टी0सी0पी0 कार्यक्रम की मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा की जानी सुनिश्चित करें तथा समीक्षा के दौरान प्रकाश में आये बिन्दुओं पर कार्यवाही भी सुनिश्चित करें।
37. निःक्षय पोषण योजना के अन्तर्गत 31 प्रतिशत लाभार्थियों को सुविधा प्रदान की गयी है। निर्देशित किया गया कि डी0बी0टी0 के माध्यम से शत–प्रतिशत लाभार्थियों को ससमय भुगतान सुनिश्चित करें।
38. समस्त जनपदों को सरकारी व प्राइवेट सेक्टर के समस्त टी0बी0 रोगियों को आर0एन0टी0सी0पी0 कार्यक्रम में अनुमन्य, समस्त जाँचें, उपचार व डी0बी0टी0 के लाभ समान रूप से उपलब्ध कराये जाये।

डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल स्ट्रेंथनिंग–

39. जिला चिकित्सालय सुदृढीकरण कार्यक्रम के सम्बन्ध में सम्बन्धित चिकित्सालयों के प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधिक्षकों को अवगत कराया गया है कि यू0पी0एम0एस0सी0एल0 द्वारा उपकरणों का क्रय किया जा रहा है, जो कि शीघ्र ही उपलब्ध कराए जाने है, अतः उनकी कियाशीलता एवं उपयोगिता वर्तमान में उपलब्ध मानव संसाधन से सुनिश्चित कराई जाए।
40. साथ ही अवगत कराया गया कि मिशन निदेशक के पत्र दिनांक 25.10.2019 द्वारा जनपदों को वाक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं ई0एम0ओ0 के चयन हेतु दिशा निर्देश निर्गत कर दिये गए हैं। अतः शीघ्र चयन प्रकिया पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया ।
41. पूर्व में यू0पी0पी0एच0सी0 द्वारा सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत कर्मियों के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि मिशन निदेशक के पत्र दिनांक 15.10.2019 एवं 01.11.2019 में दिये गये निर्देशों का पालन करते हुए समय–सीमा के अन्दर एन0एच0एम0 में स्वीकृत पदो के सापेक्ष सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से कर्मी प्राप्त कर लिए जाए ताकि चिकित्सालयों में कार्य बाधित ना हो।

अन्य बिन्दु–

42. बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अन्तर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रबन्धन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। निर्देशित किया गया कि नदियों में वर्ज्य पदार्थों के कारण होने वाली बीमारियों से बचाव हेतु अतिरिक्त स्वास्थ्य कैम्प का आयोजन करायें तथा इनके आयोजन से सम्बन्धित प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

43. स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के आस–पास करने के प्रयास करें जिससे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मरीजों की जांचें भी हो सकें तथा उपचार पूर्ण हो सके।

44. निर्देशित किया गया कि मरीजों की जांच में यदि कैंसर की पुष्टि होती है तो यह स्पष्ट अवश्य कर लें कि यह कैंसर दूषित जल के कारण उत्पन्न हुआ है या किसी अन्य कारण से। साथ ही साथ राज्य स्तर पर प्रेषित की जाने वाली रिपोर्ट में यह भी इंगित करें कि कैंसर नवीन है या पुराना।

45. निर्देशित किया गया कि प्रदेश के सर्वाधिक प्रदूषित 16 जनपदों के द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह रिपोर्ट राज्य स्तर पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

46. निर्देशित किया गया कि 25 नवम्बर से 19 जनपदों में आयोजित किये जाने वाले एम0डी0ए0 / आई0डी0ए0 राउण्ड को पूरी गम्भीरता से लेते हुये कार्यक्रम को कियान्वित करायें तथा पिछले राउण्ड में विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं अन्य एजेंसियों द्वारा जो कमियां इंगित की गयी थीं उन पर विशेष ध्यान देते हुये कार्यक्रम को सफल बनायें।

47. राज्य कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद कानपुर एवं प्रयागराज में ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर का प्रशिक्षण पूर्ण नहीं हुआ है। नगरीय क्षेत्रों की माइकोप्लानिंग पूर्ण नहीं हो पायी है, सर्वे रजिस्टर इत्यादि अभी तक नहीं पहुंचे हैं जिसके कारण कार्यक्रम को गुणवत्तापूर्वक संचालित करना सम्भव नहीं होगा। जनपद– सीतापुर, प्रतापगढ़, हरदोई, उन्नाव एवं कानपुर देहात में फैमिली रजिस्टर, फलैक्स मेजरिंग टेप्स ब्लाक पर नहीं पहुचे हैं, जनपद स्तर से ब्लाक स्तर हेतु बजट का आवंटन अभी तक नहीं हुआ है। फैमिली रजिस्टर में सर्वे का कार्य आज तक पूर्ण कर लिया जाना चाहिये था। प्रमुख सचिव द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारियों को इस कार्य को शीघ्र पूरा कराके 25 नवम्बर से कार्यक्रम की गतिविधियों को आयोजित कराना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

अन्त में निर्देशित किया गया कि उपरोक्त समस्त निर्देशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करायें।